


5000Rs.



(श्री)

भूमि का विनीमय पत्र

भूमि का बाजार मूल्य रुपये १,५७,५००/- स्टाम्प डियुटी रुपये १२,६००.००

भूमि ग्राम मोरघड़ी प.ह.नं. १

दोबस्त नंबर तहसील व जिला खण्डवा म.प्र.

ग्राम मोरघड़ी की भूमि - खसरा नंबर ५१४ रकबा ०.५९ हेक्टेयर सिंचित भूमि होकर इसमें कोई वृक्षा नहीं हैं इस जमीन की भू अधिकार एवं ऋण पु. क्रमांक N 4319 हैं. इसका बाजार मूल्य रुपये १,२४,०००/-  
का  
खसरा नंबर ६०६ रकबा ०.७५ हेक्टेयर सिंचित होकर इसमें कोई वृक्षा नहीं हैं, इस जमीन की भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्र. K 210872 है इसका बाजार मूल्य रुपये १,५७,५००/- है.  
के साथ विनीमय किया गया है.

यह विनीमय विलेख विलेख हम -

प्रथम पक्ष :-



पन्नालाल पिता जोगीलाल गुजर उम्र ४२ साल, निवासी मोरघड़ी तहसील व जिला खण्डवा म.प्र. जिन्हें इस लेख में सुविधा की दृष्टि से प्रथम पक्ष इस नाम से सम्बोधित किया जा रहा है, (जिसमें इन्हों के समस्त निष्पादक, प्रशासक, असायनीज, वैध उत्तराधिकारी एवं समस्त हितबंध व्यक्ति भी सम्मिलित हैं)

एवं

द्वितीय पक्ष



गिरधारीलाल पिता हीरालालजी सोनी आयु ४८ वर्ष, निवासी आजाद मार्ग सनावद टप्पा तहसील सनावद जिला खरगोन म.प्र. जिन्हें इस लेख में सुविधा की दृष्टि से द्वितीय पक्ष इस नाम से सम्बोधित किया जा रहा है, (जिसमें इन्हों के समस्त निष्पादक, प्रशासक, असायनीज, वैध उत्तराधिकारी एवं समस्त हितबंध व्यक्ति भी सम्मिलित हैं)

निरन्तर...पु/२

८२८  
२०१३०३

लेडी - १५६५००

आवधिक - ८२८ को ८३३ तक

लेडी का डिनांक - २०१३०३


अर्थ का प्रती धरुय - बारह हजार रु. मात्र रूपये

$$\frac{१०००}{२} + \frac{१०००}{२} + \frac{५००}{१} + \frac{१००}{१} = १२६००/-$$

प्रथम पक्ष - पन्नादादा पिता लोगीदादा गुरुजी मोरदादी

द्वितीय पक्ष - गिरधरीदादा पिता शिवादादा शोणी मोरदादी

दुसरे का नाम - लक्ष्मी विद्या लक्ष्मीदादा (मो) चौधरी अनास



द्वारा  
मोड

नरेश कुमार पाटनी  
पंजीयक

कुल रु.	12,600/-
वसूल रु.	
म. प.	
उप.	
बन्व.	
कटि.	
शेष	12,600/-

पन्नादादा पिता लोगीदादा

नरेश कुमार  
पंजीयक

के द्वारा उप जिला सप्लायर  
जिला सप्लायर के पंजीयक के  
कार्यालय में  
को स. पू. नं. १९७७५/२००३  
दिनांक २९/०३/२००३

द्वारा  
पंजीयक

पन्नादादा

5000Rs.



(२)

के मध्य निम्नानुसार शर्तों एवं दायित्वों के अधिन लिखा जा रहा है, ऐसा कि -

(१) एक:- यह कि प्रथम पक्ष के एकमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य की प्रथम पक्ष के नाम से दर्ज ग्राम मोरघड़ी प.ह.नं. १ तहसील व जिला खण्डवा की कृषि भूमि -

खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर	लगान रुपै- पैसे
५१४(पाँच सौ चौदह)	०.५९ (शून्य हेक्टेयर उनसाठ आरे)	शा.लगान ख.नं. ९९ के रु.

होकर इस जमीन की चतुःसीमा इस प्रकार है -

पूर्व को-	तुलसीराम पिता जोगीलाल की खसरा नंबर ५१३ की जमीन,
पश्चिम को-	द्वितीय पक्ष गिरधारीलाल सोनी की खसरा नंबर ५१५ की जमीन.
उत्तर को -	ओंकारेश्वर मार्ग,
दक्षिण को -	आम रास्ता है.

(२) दो - यह कि द्वितीय पक्ष के एकमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य की द्वितीय पक्ष के नाम से दर्ज ग्राम मोरघड़ी प.ह.नं. १ तहसील व जिला खण्डवा की कृषि भूमि -

खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर	लगान रुपै- पैसे
६०६(छः सौ छः)	०.७५ (शून्य हेक्टेयर पिचहत्तर आरे)	शा.लगान ख.नं. ५१ के रु. ७/-सात रुपये

होकर इस जमीन की चतुःसीमा इस प्रकार है -

पूर्व को-	मयाराम भारुड़ की जमीन,
-----------	------------------------


निरन्तर...पृ/३

पञ्चालाल

*(Handwritten signature)*

202  
2019102

(संख्या ६६० २२२ के साथ संलग्न है)



६२८  
२२२

नरेश कुमार चाटनी  
Sub Treasury Officer (S.T.O.)

प्र.प. पन्नालाल मिश्र कोनीलपुर  
दि. १३-११-१९७९ मि. माधुसी तह. बरवाह  
मि. धारीलाल मिश्र हीरालाल खेरी  
मि. आशा (माग) सनाव तह. बरवाह  
मि. रवगोन

~~जिनके बैंक खाते बंद हो जाते हैं  
को कार्रवाई की जा सकती है।  
प्रमाणित किया जाता है कि  
उपरोक्त नामों के धारकों के  
बैंक खातों को बंद कर दिया गया है और  
इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज  
को प्राप्त किया जा चुका है।  
मि. रवगोन के नाम पर प्राप्ति होगी।  
दिनांक २९ मार्च २०१९~~

- १) मि. रवि मिश्र (कोनीलपुर) को  
मि. सनाव (तोड़ी मोहवा) तह. बरवाह
- २) मि. कुश मिश्र (कोनीलपुर) को  
मि. हटेशन (सनाव) तह. बरवाह  
मि. रवगोन

यदि कोई प्रमाणित किया  
जाए तो इसे वापस  
बिल में की जाये।

२२२  
(स.प.)





(३)

पश्चिम को- दुलीचंद नांदिया की जमीन,  
 उत्तर को - आवागमन का मार्ग,  
 दक्षिण को - प्रथम पक्ष पन्नालाल की खसरा नंबर ५८८  
 एवं तुलसीराम भाई की ख.नं. ५८९ की जमीन है.

(३)तीन- यह कि प्रथम पक्ष की उक्त सर्वे नंबर ५१४ की जमीन द्वितीय पक्ष की खसरा नंबर ५१५ की जमीन के लगत में पूर्व तरफ स्थित होकर द्वितीय पक्ष की उक्त वर्णित जमीन खसरा नंबर ६०६ की जमीन प्रथम पक्ष की अन्य खसरा नंबर ५८८ के पिछे याने उत्तर तरफ स्थित है. दोनो पक्ष को वर्तमान स्थिति में काश्तकारी करने में भारी असुविधा होती है, प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त चरण १ में वर्णित जमीन द्वितीय पक्ष की उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर ६०६ (छः सौ छः) रकबा ०.५५ हेक्टेयर (शुन्य हेक्टेयर पिचहत्तर आरे) भूमि के बदले उक्त प्रथम पक्ष की खसरा नंबर ५१४ (पाँच सौ चौदह) रकबा ०.५९ हेक्टेयर (शुन्य हेक्टेयर उनसाठ आरे) से आपसी विनीमय सद्भावना पूर्वक काश्तकारी की सुविधा हेतु आपस में बिना कोई प्रतिफल के जमीन के बदले जमीन लेकर किया है, तथा इस विनीमय से अब उपरोक्त चरण १ एक में वर्णित ग्राम मोरघड़ी प.ह.नं. १ तहसील व जिला खण्डवा की कृषि भूमि -

खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर	लगान रुपै- पैसे
५१४(पाँच सौ चौदह)	०.५९ (शुन्य हेक्टेयर उनसाठ आरे)	शा.लगान ख.नं. ९९ के रु.

होकर इस जमीन की चतुःसीमा इस प्रकार है -

पूर्व को- तुलसीराम पिता जोगीलाल की खसरा नंबर ५१३ की जमीन,  
 पश्चिम को- द्वितीय पक्ष गिरधारीलाल सोनी की खसरा नंबर ५१५ की जमीन.  
 उत्तर को - ओंकारेश्वर मार्ग,

E30  
2012/03

(धुमस 200 E22 को साथ में 1000 है)

Accountant  
Sub Treasury Sammad



हर  
नरेश



पन्ना लाल

नरेश कुमार शर्मा  
नरेश कुमार शर्मा (अ-0 200)

परालिपि लिपि लिखित है

पन्ना लाल  
29 MAR 2003

Sidy  
उप पत्र (प.स.)



पन्ना लाल


परालिपि लिपि लिखित है  
पन्ना लाल  
29 MAR 2003

Sidy  
उप पत्र (प.स.)

1- हर

2- हर

3- हर



(४)

दक्षिण को - आम रास्ता है.

की भूमि के द्वितीय पक्ष भूमि स्वामी हो गए एवं इस जमीन का आधिपत्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को दे दिया है द्वितीय पक्ष ने भी इस जमीन का आधिपत्य प्रथम पक्ष से मौके पर प्राप्त कर लिया है. अब इस जमीन पर द्वितीय पक्ष ने मालिक नाते से भूमि स्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लेना एवं द्वितीय पक्ष ने भूमिस्वामी नाते से अपनी मरजी से इस जमीन का अपने वंश परम्परा के उपयोग उपभोग लेते जाना ।

उसी प्रकार से इस विनीमय से अब उपरोक्त चरण २ दो ग्राम मोरघडी, प.ह.नं. १ तहसील व जिला खण्डवा की कृषि भूमि -

खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर	लगान रुपै- पैसे
६०६ (छः सौ छः)	०.७५ (शुन्य हेक्टेयर पिचहत्तर आरे)	शा.लगान ख.नं. ५१ के रु. ७/-सात रुपये

होकर इस जमीन की चतुःसीमा इस प्रकार है -

पूर्व को- मयाराम भारुड़ की जमीन,  
पश्चिम को- दुलीचंद नांदिया की जमीन,  
उत्तर को - आवागमन का मार्ग,  
दक्षिण को - प्रथम पक्ष पन्नालाल की खसरा नंबर ५८८

एवं तुलसीराम भाई की ख.नं. ५८९ की जमीन है.

यह वर्णित भूमि जो कि द्वितीय पक्ष के गिरधारीलाल के नाम से दर्ज है के मालिक अब प्रथम पक्ष याने पन्नालाल हो गए एवं द्वितीय पक्ष ने इस जमीन का आधिपत्य प्रथम पक्ष को दे दिया है, प्रथम पक्ष ने भी इस जमीन का आधिपत्य द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया है. अब इस जमीन के भूमि स्वामी प्रथम पक्ष हो गए एवं प्रथम पक्ष ने इसका अब अपनी

*(Signature)*

९३१  
२९३१०३

(१५५५ १६६ ९२२ को मात्र संशोधन है)

९२२  
नरेश

Accountant  
Sub Treasury Samroad



नरेश कुमार पाटनी  
सहायक उप निदेशक (अ. प्र. ०)

17/3/03 No 9093  
रसीद दस्तावेज खंगारह 73

मुद्रा		मुद्रा	
स	दस्त	फीस या	तादाब
	दस्त	की मुहरबन्द	फीस
	लिफ	के बाबत फीस	(अगर हो
	दाखि	लिखी हुई	तो) दाखल
	हवारस		गुदा
		2	3
			4
		पन्ना/CGIC विपिन 157500	1430

दि. 29 MAR 2003  
उप निदेशक  
सप-पञ्जीयक  
अभिक्षा (म. प्र.)





(५)

मरजी से अपने वंश परम्परा के मालिक नाते से उपयोग उपभोग लेते जाना एवं भूमि स्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लेना एवं अपनी मरजी से मालिक नाते से इस जमीन का उपयोग उपभोग लेते जाना ।

(४) चार- यह कि उपरोक्त खसरा नंबर ६०६ (छ: सौ छ:) की जमीन में आने जाने का बेलगाड़ी ओत वगैरा कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने का एवं पेदल आने जाने का रास्ता ओंकारेश्वर रोड़ से होकर बाद खसरा नंबर ६८७ (छ: सौ सत्यासी) की जमीन के पूर्वी मेड़ से दोनो चकरी का बारहमासी रास्ता पूर्व परम्परा का है सो भविष्य में भी इस मार्ग से प्रथम पक्ष ने आना जाना ।

(५) पाँच- यह प्रथम पक्ष पन्नालाल ने जो अपनी उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर ५१४ की जमीन द्वितीय पक्ष को दी है यह दी गई जमीन हर प्रकार के भार एवं विवाद से मुक्त सम्पत्ती है इस पर किसी किशम का कोई भी भार या विवाद या अन्य कोई भी दावा झड़ा नहीं है यदि कोई भी विवाद या भार पाया जाता है तो इसकी जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी एवं इसकी देनदारी जवाबदारी भी प्रथम पक्ष की ही होगी । उसी प्रकार से द्वितीय पक्ष ने भी अपनी जो उक्त खसरा नंबर ६०६ की जमीन प्रथम पक्ष को दी है यह जमीन भी हर प्रकार के विवाद व भार से मुक्त सम्पत्ती हैं यदि इस पर भी किसी प्रकार का कोई भार या विवाद पाया जाता है तो इसकी हर किशम की देनदारी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी इस प्रकार पूर्णतया भार मुक्त विवाद मुक्त भूमियों का हम दोनो पक्षों ने आपस में विनीमय किया है ।

यह विलेख काट पिट से मुक्त है।

अतएव यह विनीमय विलेख हमने पूर्ण होश हवास में राजी खुशि से बिना किसी निरन्तर....पृ/६

पन्नालाल

*(Signature)*

e32  
2012103

(समस्त १०० १२२ को साथ संशोधन है)



Accountant  
Sub Treasury Sanaswad

~~१२२~~  
~~१२२~~

नरेश कुमार घाटनी  
रजिस्ट्रार कार्यालय, संशुद्ध १२२

100Rs.



दबाव के सोच समझकर स्वस्थ चित एवं स्थिर बुद्धी से लिख दिया सो सही । इति  
दिनांक २९ मार्च २००३ ई.

गवाह

हस्ताक्षर

(प्रथम पक्ष)

१) श्री वि. ए. लाल शर्मा  
पुस्तकालय प्रशासक

पुस्तकालय

२) श्री अ. ए. लाल शर्मा  
२२२/२०५ अनामिका

(द्वितीय पक्ष)

अ. ए. लाल शर्मा

Drafted by me & Typed by my  
Office

K. J. Chouhan  
Advocate  
(K. J. Chouhan)

२००३/३०

e33  
2e12102

(रूपम एवम एरर के शक्ति संशोधन)

~~एरर~~  
~~मेरर~~

~~विशेष~~  
~~विशेष~~  
~~विशेष~~

SSJ

नरेश कुमार पाटनी  
स्टॉक एक्सचेंज (एन ० प्र०)

29 MAR 2008

199 को  
7414  
97-105

~~SSJ~~  
(...)



वर्गीयन  
1405  
25  
1

1430

SSJ